-: राज्य वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.03.2017 का कार्यवाही विवरण :-

दिनांक 09.03.2017 को प्रातः 12.00 बजें राज्य मुख्यालय के बैठक हॉल में राज्य वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

1. श्री डी.एस.राघव , राज्य आयुक्त(स्काउट)	अध्यक्ष
2. श्री बलवान सिंह, राज्य कोषाध्यक्ष	सदस्य
3. श्री प्रकाश दिसौरिया, राज्य सचिव	सदस्य
4. श्रीमती अनीता अंकुलनेरकर , सं.राज्य सचिव	सदस्य
5. [illegible] तिवारी	सदस्य
6. श्री एच.सिद्दीकी एस.ओ.सी.(स्का.)	आमंत्रित सदस्य
7. श्रीमती चन्द्रकांता उपाध्याय, एस.ओ.सी.(गा.)	आमंत्रित सदस्य
8. श्री बी.एल.शर्मा एस.टी.सी.(स्का.)	आमंत्रित सदस्य
9. श्री जी.आर.गारग, लेखाधिकारी	आमंत्रित सदस्य

राज्य मुख्य आयुक्त महोदय, विधान सभा में होने के कारण उनके द्वारा, राज्य आयुक्त (स्काउट) को बैठक की अध्यक्षता हेतु अधिकृत किया गया । वित्तीय समिति का कोरम पूर्ण होने पर राज्य सचिव द्वारा वित्त समिति में उपस्थित सदस्यों का अभिवादन किया एवं समिति के अध्यक्ष श्री डी.एस.राघव से आगामी कार्यवाही करने हेतु अनुमति मांगी जो अध्यक्ष द्वारा प्रदान की गई ।

बिन्दु क्रमांक 01– गत बैठक दिनांक 24.05.2016 का कार्यवाही विवरण समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से कार्यवाही विवरण अनुमोदित किया गया।

बिन्दु क्रमांक 02– राज्य कोषाध्यक्ष द्वारा बैठक दिनांक 24.05.2016 के कार्यवाही विवरण का [illegible] प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

बिन्दु क्रमांक 03– राज्य कोषाध्यक्ष द्वारा बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्ष 2016-17 के अनुमोदित बजट में रू. 1289.77 लाख आय का प्रावधान करते हुए रू. [illegible] लाख व्यय का अनुमान लगाया गया था। जिसके विरुद्ध वर्ष में जनवरी–17 तक वास्तविक आय रू. 551.80 लाख एवं व्यय रू. 474.58 लाख जनवरी–17 तक हुआ एवं वित्त वर्ष के शेष दो महीनो में 221.47 लाख रू. की आय एवं रू. 221.43 लाख रू. व्यय होना संभावित है।

इस प्रकार वर्ष 2016–17 की पुनरीक्षित आय 773.27 लाख रू.एवं व्यय 696.01 लाख रू. होना संभावित है। वित्त वर्ष 2017–18 में समग्र बजट में रू. 1150.31 लाख आय एवं रू. 1173.60 लाख व्यय का प्रावधान प्रस्तावित कर वित्त समिति की अनुशंसा एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2017–18 का प्रस्तावित बजट पढकर सभी उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया है। जिसे बैठक में सभी सदस्यों द्वारा चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया।

बिन्दु क्रमांक 04 – वर्ष 2015–16 का अंकेक्षण प्रतिवेदन सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य कोषाध्यक्ष ने अवगत कराया गया कि पूर्व वर्षो की अंकेक्षण की 22 में से 16 आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। जो कि आगामी वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्शित होगी। शेष अंर्तशाखा समाधान नही हो पाया है जिसकी कार्यवाही जारी जो शीघ्र ही पूरा करने का लक्ष्य है। पूर्व के लेनदारो को पत्र भेजा गया है उन्हें लेनदारी संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर भुगतान/समायोजन कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही – लेखाधिकारी)

बिन्दु क्रमांक 05– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव पर चर्चा ।

1. राज्य कोषाध्यक्ष द्वारा मासिक पत्रिका बालचर–रवि के संबंध में कहा गया कि पत्रिका के आय से व्यय अधिक हो रहा है। ऐसी स्थिति में घाटा कम करने के लिए पत्रिका की सदस्यता एवं विज्ञापन में वृद्धि की जाना है।

(कार्यवाही – पत्रिका शाखा)

2. श्रीमती सी.के.उपाध्याय द्वारा सुझाव दिया गया संबंधित लोगो द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करवाये गये है किन्तु विज्ञापन की राशि नही दी गई है उनसे राशि वसूल की जायें।

(कार्यवाही – पत्रिका शाखा)

3. राज्य सचिव ने सुझाव दिया गया है जिलो में विधालयों द्वारा पंजीयन राशि के साथ पत्रिका सदस्यता राशि भी जमा कराई जाती है किन्तु पत्रिका की राशि रा.मु. को प्राप्त नही हो पाती है।

(कार्यवाही – पंजीयन शाखा)

4. श्री एच.सिद्धीकी द्वारा अवगत कराया गया है जिले/संभाग से काफी मात्रा में यात्रा देयक प्राप्त होते है किन्तु यात्रा की गई या नही इसका कोई वास्तविक प्रमाणिकरण नही हो पाता है।

(कार्यवाही – राज्य सचिव)

5. राज्य कोषाध्यक्ष द्वारा जिलो की पंजीयन राशि से प्राप्त करने वाली संभावित राशि [illegible] करने एवं अंशदान की राशि जोडकर जिलो से प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव किया गया। जिस पर सहमति व्यक्त की गई।

(कार्यवाही – राज्य सचिव)

अध्यक्षीय उद्बोधन :– मान. राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा बैठक में बजट के संबंधी सहमति व्यक्त करते हुआ कहा है कि पूर्व वर्षो की तुलना में वर्तमान में वित्तीय स्थिति बेहतर से और बेहतर होने का प्रयास किया जा रहा है।

आभार –राज्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यो को आभार व्यक्त किया गया एवं संस्था हेतु और अधिक वित्तीय संसाधन एकत्र करने के लिए प्रयास एवं प्लानिंग करने का आश्वासन दिया गया है साथ ही आगामी वर्ष में अन्य विभागो से अनुदान प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयास किया जायेगा।

(डी.एस.राघव)	(डॉ.बलवान सिंह)
राज्य आयुक्त (स्का.)	राज्य कोषाध्यक्ष
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.	भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.